



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी सं० - 1408 वर्ष 2026.

राम सूरत तथा एक अन्य
बनाम

..... याची (गण)

उ०प्र० राज्य तथा 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : हरीश कुमार त्रिपाठी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याचीगण द्वारा एक मात्र उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूराजस्व अधिनियम 1950 की धारा 331 के अन्तर्गत दाखिल अपील सं० 2404 वर्ष 2025 (कम्प्यूटरीकृत मामला सं० सी202505000002404) (राम सूरत तथा अन्य बनाम पारस नाथ तथा अन्य) के साथ याची द्वारा दाखिल अंतरिम संरक्षण आवेदन पर समुचित आदेशों को पारित करने के लिए प्रत्यर्थी सं० 2/अपर आयुक्त (प्रशासन प्रथम) गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को निदेश देने का अनुरोध किया गया है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सं० 1 तथा 2 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सं० 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को सुना।

3. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को रोक आवेदन का विनिश्चय सर्वाधिक शीघ्रता एवं अधिमानतः, यदि संभव है, मामले में नियत अगले तिथि को करने का निदेश प्रत्यर्थी सं० 2/अपर आयुक्त (प्रशासन प्रथम) गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को देते हुए निपटाया जाता है यदि, किसी कारण से, आदेश उक्त तिथि को पारित नहीं किया जा सके तो प्रत्यर्थी सं० 2 तत्पश्चात दो सप्ताह के अन्दर आदेश पारित करेगा।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

जनवरी, 20, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"